

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण) (03 April 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कार्यवाही और इसका
 भारत के लिए निहितार्थ
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा द्वारा पारित
- MCQ

अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कार्यवाही और इसका भारत के लिए निहितार्थ:

परिचय:

- 2 अप्रैल, 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने "लिबरेशन डे" नामक पहल के तहत नए टैरिफ की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लंबे समय से व्यापार असंतुलन को दूर करना है।
- इस नीति में सभी आयातों पर बेसलाइन 10% टैरिफ शामिल है, जो 5 अप्रैल से प्रभावी है, साथ ही विशिष्ट देशों पर उनके मौजूदा व्यापार प्रथाओं के आधार पर उच्च, पारस्परिक टैरिफ भी शामिल हैं।



- भारत भी प्रभावित देशों में से एक है, जिसे अमेरिका को अपने निर्यात पर 26%
 टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होने वाला है।
- उल्लेखनीय है कि ये टैरिफ दरें तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक राष्ट्रपित ट्रंप यह
 निर्धारित नहीं कर लेते कि "व्यापार घाटे और अन्तर्निहित गैर-पारस्परिक व्यवहार
 से उत्पन्न खतरा समाप्त, हल या कम हो गया है"।

अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया है?

- भारत पर 26% टैरिफ के पीछे का तर्क अमेरिकी प्रशासन के इस आकलन से उपजा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 52% टैरिफ लगाता है।
- राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि भारत हमसे 52% शुल्क (मुद्रा हेरफेर सहित टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं) ले रहा है और हम वर्षों और दशकों से लगभग कुछ भी नहीं ले रहे हैं।
- व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि भारत ने "अद्वितीय रूप से बोझिल" गैर-टैरिफ बाधाएं लगाए हैं, जिन्हें हटाने से अमेरिकी निर्यात में सालाना कम से कम 5.3 अरब डॉलर की वृद्धि होगी।

अमेरिका द्वारा यह टैरिफ घोषणा क्यों की गयी है?

- इस घोषणा को अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका की "आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा" बताया।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसके जिरये अमेरिका के लिए "स्वर्ण युग" का वादा किया है, उन्होंने दावा किया है कि उनके पारस्परिक टैरिफ से नौकरियां और

कारखाने वापस अमेरिका आएंगे और साथ ही करों को कम करने और राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने के लिए "खरबों डॉलर" पैदा होंगे। उनके अनुसार इस टैरिफ योजना से अमेरिका में 6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आएगा।

साथ ही उन्होंने विश्व नेताओं को चेतावनी भी जारी की, जिसमें कहा गया कि
 अगर वे उनके "पारस्परिक टैरिफ" से छूट चाहते हैं, तो उन्हें अपनी व्यापार नीतियों
 को बदलना होगा।

अन्य देशों की व्यापार बाधाओं के खिलाफ कदम:

- विदेशी व्यापार बाधाओं पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि दशकों से, अमेरिका ने अन्य देशों के लिए व्यापार बाधाओं को कम किया है, जबिक उन देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर भारी बाधाएं लगाई हैं।
- चीन का स्पष्ट संदर्भ देते हुए, राष्ट्रपित ट्रम्प ने कहा कि देशों ने "अपनी मुद्राओं में हेरफेर किया है, अपने निर्यात को सब्सिडी दी है, हमारी बौद्धिक संपदा चुराई है, और गंदे प्रदूषण वाले ठिकाने बनाते हुए अनुचित नियम और तकनीकी मानक अपनाए हैं"।

भारत में व्यापार बाधाओं पर USTR रिपोर्ट:

- व्यापार बाधाओं पर USTR रिपोर्ट ने भारत द्वारा वनस्पित तेल, सेब, मक्का,
 मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, फूल, प्राकृतिक रबर, कॉफी, किशमिश, अखरोट और
 मादक पेय पदार्थों सिहत कई प्रकार के सामानों पर लगाए गए उच्च टैरिफ की
 आलोचना की थी।
- इसके अनुसार भारत के WIO-बद्ध और लागू टैरिफ दरों के बीच का अंतर भारत सरकार को टैरिफ को अप्रत्याशित रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे अमेरिकी हितधारकों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है।
- इस रिपोर्ट ने दूध, सूअर का मांस और मछली उत्पादों के आयात पर भारत के नियमों को चिह्नित किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें "वैज्ञानिक या जोखिम-आधारित औचित्य प्रदान किए बिना" आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) मुक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
- इस रिपोर्ट ने भारत के कृषि सहायता कार्यक्रमों पर लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी चिंता को दोहराया, जो अमेरिका के अनुसार, बाजारों को विकृत करते हैं। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने तर्क दिया है कि किसानों के लिए अमेरिकी सब्सिडी भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से बहुत अधिक है।

पारस्परिक टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ:

• उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26% के पारस्परिक टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर अनेक संभावित गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं:

भारतीय निर्यात पर प्रभावः

- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और कई भारतीय उद्योग अमेरिकी मांग पर निर्भर हैं।
- आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं: भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका से भारी राजस्व अर्जित करती हैं। टैरिफ से उनकी लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।
- ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्स: टाटा मोटर्स और मिहंद्रा जैसी कंपनियों का निर्यात प्रभावित होगा, जिससे भारतीय वाहनों की लागत अमेरिका में बढ़ जाएगी।

निर्यात-आधारित उद्योगों की विकास दर में गिरावट:

- भारत की GDP वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निर्यात भारतीय
 अर्थव्यवस्था का 20% से अधिक हिस्सा है।
- जिन कंपनियों का अमेरिका पर अधिक निर्भरता है, उन्हें नए ऑर्डर मिलने में
 कठिनाई हो सकती है, जिससे नौकरियों पर भी असर पड़ेगा।

विदेशी निवेश (FDI) में गिरावट की संभावना:

- भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में अस्थिरता के कारण अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने से बच सकती हैं।
- 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि कंपनियां
 भारतीय उत्पादन में निवेश करने से हिचकिचा सकती हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा द्वारा पारितः

परिचय:

• 12 घंटे की मैराथन बहस और कई सवालों पर मतदान के बाद लोकसभा में वक्फ

(संशोधन) विधेयक, 2025 को आखिरकार पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 वोट पड़े और अब इसे राज्यसभा में पास कराया जायेगा।



उल्लेखनीय है कि वक्फ विधेयक को पेश करने के दौरान सरकार ने आरोप लगाया
 गया था कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान तुष्टिकरण
 की राजनीति के लिए मौजूदा वक्फ कानून में बदलाव किया गया था।

सरकार द्वारा यह विधेयक क्यों लाया गया है?

 यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

- इस विधेयक को पहली बार पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था, और इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया था। 27 फरवरी को, इस विधेयक को JPC ने 15-11 वोट से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी, जो सभी भाजपा सदस्यों या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उसके सहयोगियों द्वारा पेश किए गए थे।
- उल्लेखनीय है कि सरकार ने विधेयक में JPC द्वारा की गई कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एक महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया है। सरकार के अनुसार इससे 'उम्मीद' जगेगी कि एक नया सवेरा आने वाला है। इसलिए नए अधिनियम का नाम भी 'उम्मीद (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development)' अधिनियम रखा गया है।

वक्फ संपत्ति क्या होती है?

- वक्फ संपत्ति मुसलमानों द्वारा किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई निजी संपत्ति है। जबिक संपत्ति के लाभार्थी अलग-अलग हो सकते हैं, संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह ईश्वर के पास माना जाता है।
- देश में वक्फ संपत्तियां वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित होती हैं।

विधेयक में वक्फ अधिनियम में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' संपत्ति से जुड़े प्रावधान:

- वक्फ अधिनियम, 1995, "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" की अवधारणा को मान्यता देता है अर्थात, वक्फ संपत्तियों के रूप में उपयोग की जा रही संपत्तियां वक्फ ही रहेंगी, भले ही उपयोगकर्ता मौजूद न हो। यह प्रावधान उन संपत्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ माना जाता है, भले ही उनके पास कोई औपचारिक दस्तावेज न हो।
- उल्लेखनीय है कि मूल विधेयक में "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से हटाने की योजना बनाई गई थी। अब, नया विधेयक इस विवादास्पद प्रावधान को केवल भावी रूप से लागू करेगा।
- इसका मतलब है कि, पहले से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां तब तक वक्फ के अधीन रहेंगी जब तक कि उन्हें विवादित या सरकारी भूमि के रूप में पहचाना न जाए।

कलेक्टर की भूमिकाः

 विधेयक के 2024 संस्करण में कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की अनुमित देने का प्रस्ताव किया गया था।

लेकिन जेपीसी की सिफारिशों के बाद, संशोधित विधेयक में प्रस्ताव किया गया है
 कि कलेक्टर से ऊपर के रैंक का एक सरकारी अधिकारी वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा, जिससे अनुचित दावों को रोका जा सके।

इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही दान दे सकता है:

• पुराने कानून के अनुसार "कोई भी व्यक्ति, जिसकी कोई चल या अचल संपित हो" शब्दों के स्थान पर, संशोधित संस्करण में, "कोई भी व्यक्ति जो यह दर्शाता या प्रदर्शित करता है कि वह कम से कम पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है, जिसके पास कोई चल या अचल संपित हो, ऐसी संपित का स्वामित्व हो और ऐसी संपित के समर्पण में कोई साजिश शामिल न हो" दान कर सकता है।

MCQ

- Q.1. चर्चा में रहे अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. अमेरिका में भारतीय निर्यात को अब 26% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
 - इस टैरिफ के पीछे का तर्क अमेरिकी प्रशासन के इस आकलन से उपजा है
 कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 26% टैरिफ लगाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
- Ans. (a)

- Q.2. हाल ही में विदेशी व्यापार बाधाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की रिपोर्ट में भारत को लेकर अनेक व्यापार अड़चनों की बात कही गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना कब की गयी थी?
 - (a) 1848 में
 - (b) 1862 में
 - (c) 1949 में
 - (d) 1962 में
- Ans. (d)

 Q.3. अमेरिकी 'पारस्परिक टैरिफ' का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका से भारी राजस्व अर्जित करती हैं। टैरिफ से उनकी लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।

- 2. भारत की विकास दर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का 20% से अधिक हिस्सा है।
 उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई <mark>नहीं।</mark>
- Ans. (c)
- Q.4. चर्चा में रहे देश में 'वक्फ संपत्तियों' का शासन या प्रबंधन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत होता है?
 - (a) मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1927
 - (b) वक्फ अधिनियम, 1995
 - (c) वक्फ अधिनियम, 1959
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (b)



- Q.5. चर्चा में रहे 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - इसका संशोधित नाम "यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद)" बिल है।
 - 2. यह 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' संपत्ति घोषित करने के प्रावधान को 15 अगस्त 1947 से रोक लगाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
- Ans. (a)